संख्या- 143/2018/1118/22-4-18-48(75)/18

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक-04 अक्टूबर, 2018

विषय- कारागारों में निरूद्ध बंदियों को उनके परिजनों से दूरभाष पर वार्ता की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अवशेष जिला कारागार सोनभद्र, बागपत, कासगंज एवं चित्रकूट में बन्दी पीसीओ स्थापित कराये जाने हेतु प्रशासकीय/ वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-29383/आधु-1/पीसीओ/2015, दिनांक-14.08.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय कारागारों में निरूद्ध बंदियों को उनके परिजनों से दूरभाष पर वार्ता की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अवशेष जिला कारागार सोनभद्र, बागपत, कासगंज एवं चित्रकूट में बन्दी पीसीओ स्थापित कराये जाने हेतु रू0 20.12 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु शतप्रतिशत धनराशि रू0 20,12,000/-(रूपया बीस लाख बारह हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) पीसीओ की स्थापना/क्रय सुसंगत नियमों एवं शासनदेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए नियमानुसार सूक्ष्म लघु, एवं मध्यम उघम विभाग द्वारा सामग्री एवं वस्तुओं/सेवाओं का क्रय के अनुसार किया जायेगा।

(2) उपकरणों का क्रय करते समय क्रय संबंधी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं का होगा।

(3) उक्त उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने का दायित्व महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं एवं सम्बन्धित संस्था का होगा।

(4) स्वीकृत उक्त धनराशि का उपयोगिता का प्रमाण पत्र नियमानुसार शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) धनराशि जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत की जा रही है, उसका उपयोग उसी पर किया जायेगा। व्यय के पश्चात यदि कोई धनराशि शेष बचती है, तो वह राजकोष में जमा की जायेगी।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-14-कारागारों के लिए उपकरणों, संयंत्रों एवं वाहन आदि की व्यवस्था-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र" के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/मद में उपलब्ध बजट प्रावधान से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक- 30.03.2018 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-143/2018/1118(1)/22-4-2018-तद्दिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(4) मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in